भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 439
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों द्वारा शिकायतों का निवारण

†439. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक के पास राज्य स्तर पर कोई कार्यालय या अधिकारी नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कमजोर शिकायत निवारण तंत्र के कारण ऋण समितियों ने कई पोंजी योजनाएं चलाई हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई जा रही है और राज्यों को दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (**श्री अमित शाह**)

(क) से (घ): मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानवां संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोत्तरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमशः दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम हेतु उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से अनेक उपबंध किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

ii. सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी लोकपाल की नियुक्ति ।

iii. पारदर्शित में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iv. 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल द्वारा समवर्ती संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है । समवर्ती संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं, यदि कोई हो, का जल्द पता लग सकेगा और तदनुसार तत्काल सुधार किया जा सकेगा । वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

1) पांच सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

2) पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और समवर्ती संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

v. पारदर्शिता में वृद्धि हेतु शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षण रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ।

vi. लेखांकन और संपरीक्षण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण ।

vii. शासन और पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से न लिए गए हों ।

viii. केंद्रीय सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों (तरलता, जोखिम, आदि) का निर्धारण ।

ix. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम हेतु किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार-विमर्श में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वह स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष हों ।

x. शासन में सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और यह सुनिश्चिम करने के लिए कि ऐसे लोप और करण त्रुटि की पुनरावृत्ति कहीं और न हो सके, निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

xi. सुरक्षित निवेश और औपनिवेशिक युग से संबंधित प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंध को पुन: परिभाषित किया गया है ।

xii. अधिक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा गठित समितियों में ऑडिट और सदाचार समिति का गठन किया जाएगा ।

xiii. शासन सशक्तिकरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xiv. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xv. यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि कपटपूर्ण तरीके से या किसी गैरकानूनी प्रयोजन से व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच पड़ताल करा सकता है ।

xvi. यदि किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा गलतबयानी, कपट, इत्यादि से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् के उसके परिसमापन का उपबंध किया गया है ।

xvii. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामुहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्काषित सदस्य के निष्काषन अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

xviii. केवल कुछ ही सदस्यों द्वारा समिति के संसाधनों का लाभ लेने को रोकने के लिए सहायक संस्थान के रूप में केवल ऐसे संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा जो बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों या उनके परिजनों द्वारा धारित अधिसंख्य इक्विटी शेयर वाले हैं ।

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय के सशक्तिकरण के लिए 64 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया है ।

तथापि, किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के अधीन कोई क्षेत्रीय कार्यालय कार्यशील नहीं है । इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 108 के अधीन सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की निरीक्षण करने और धारा 84 के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्तियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक को प्रत्यायोजित किया जा चुका है। इसके साथ ही दिनांक 06.08.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ताकि बहुराज्य सहकारी समितियों को भौतिक रूप से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय में आने की आवश्यकता न पड़े ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती हैं । जब कभी किसी बहुराज्य सहकारी समिति के विरुद्ध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों और नियमों के उल्लंघन या परिपक्वता पर जमाराशियों का भुगतान न करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों और उसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है । तदनुसार, केंद्रीय पंजीयक ने 88 उल्लंघनकर्ता बहुराज्य सहकारी समितियों के परिसमापन के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है ।

संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी एक राज्य से ही आने वाले सदस्यों वाली सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाता है जिसका विनियमन सहकारी समितियों के संबंधित राज्य पंजीयकों द्वारा किया जाता है । जब कभी संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत समितियों के विरुद्ध सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार निवारण हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों के पंजीयक को अग्रेषित की जाती है ।

*****